

राजस्थान सरकार
नगरीय विकास विभाग

क्रमांक: प. 3(4)नविवि/II/2021

जयपुर, दिनांक: 30 NOV 2021

आदेश

प्रशासनिक व्यवस्था को दृष्टिगत रखते हुए इस विभाग का समसंख्यक आदेश दिनांक 08.10.2021 एतद् द्वारा निरस्त किया जाता है।

यह सक्षम स्तर से अनुमोदित है।

आज्ञा से,




(नवनीत कुमार)

संयुक्त शासन सचिव-द्वितीय

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री महोदय, नगरीय विकास विभाग एवं आवासन विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, नगरीय विकास विभाग एवं आवासन विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. सचिव, जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।
4. मुख्य नगर नियोजक, राजस्थान, जयपुर।
5. वरिष्ठ उप शासन सचिव, नगरीय विकास विभाग को प्रेषित कर लेख है कि इस आदेश को नगरीय विकास विभाग की वेबसाईट पर अपलोड करावें।
6. सचिव, नगर सुधार न्यास, सवाईमाधोपुर।
7. संबंधित अधिकारी।
8. रक्षित पत्रावली।



संयुक्त शासन सचिव-द्वितीय